

भाग—III**हरियाणा सरकार**

सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अप्रैल, 2022

संख्या सांका०नि० 50/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5 में, "सत्तरह वर्ष" तथा "35 वर्ष" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह वर्ष" तथा "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अनिल मलिक,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Notification

The 26th April, 2022

No. G.S.R. 50/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Electronics and Information Technology Department (Group C) Services Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Electronics and Information Technology Department (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Electronics and Information Technology Department (Group C) Service Rules, 1998, in rule 5, for the words and sign “seventeen” and “thirty-five”, the words sign “eighteen” and “forty-two” shall respectively be substituted.

ANIL MALIK,
Addional Chief Secretary to Government, Haryana,
Information Technology, Electronics and Communication Department.